संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 20-09-2021**

आज दिनांक 20.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ0 कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वादी दिवस पर गुमशुदा / अपहृत किशोरियों / बच्चों व महिलाओं को बरामद किये जाने हेतु विवेचकों को दिए गये निर्देश के क्रम में **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 55 / 2021 धारा 363 / 366 भा0द0वि0 व 16 / 17 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता सहरे आलम पुत्र हबीब निवासी कबरा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को भी बरामद किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.02.2021 को नाबालिग अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 20.09.2021 को अपहृता को बरामद करते हुए थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी पचपोखरी उ0नि0 श्री कामेश्वर मिश्रा, का0 प्रदीप पटेल, म0का0 शिवानी सिंह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री अम्बरीश सिंह भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 265 / 2021 धारा 366 / 376 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता मोहम्मद फिरोज पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी सरौरा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.08.2021 को वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 24.08.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 20.09.2021 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0श्री कल्पनाथ सिंह, उ0नि0 श्री विजय प्रताप सिंह।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम फूलकुमारी पत्नी दशरथ निवासी बभनी खुर्द थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को 10 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 173 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी टीम का विवरणः- हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 04 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा दबिश के दौरान वारण्टी 02 वारण्टी नाम पता 1 – सचिदा नन्द मिश्रा पुत्र नन्हे उर्फ शीलता प्रसाद निवासी ग्राम घोरहट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2 – प्रताप भानू पुत्र उदयशंकर मिश्रा उर्फ हृदय शंकर मिश्रा निवासी इटौवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राम प्यारे शुक्ला, उ0नि0 श्री नत्थू प्रसाद, हे0कां0 रविन्द्र शुक्ला, हे0कां0 सुरेन्द्र कुमार, कां0 अवधेश पाल।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान वारण्टी 01 वारण्टी नाम पता ओम प्रकाश पुत्र राम उग्रह निवासी पुरवा बौलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रविन्द्र तिवारी, कां0 सत्येन्द्र मद्धेशिया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान वारण्टी 01 वारण्टी नाम पता राम प्रकाश उर्फ राम प्रसाद पुत्र रामपूजन निवासी बरगदवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला, कां0 रामानन्द, कां0 प्रदीप कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा मारपीट में घायल महिला को इलाज हेतु पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1495 को थाना धौरापार क्षेत्रांतर्गत मेहदावल से इवेन्ट संख्या 07767 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद के दौरान एक महिला (श्रीमती आरती देवी पत्नी मुन्नीलाल निवासी ग्राम धौरापार) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुई महिला को जरिए एम्बुलेंस से प्रा0 स्वा0 केन्द्र मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल महिला को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 मन्जूर हसन, आरक्षी विजय कुमार पासवान, हो0गा0 प्रदीप कुमार पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 118 वाहनो से 113500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 118 वाहनो से 113300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।